

आंतरिक शिकायत समिति का गठन (संशोधित)

Constitution of Internal Complaint Committee (Revised)

महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण और लैंगिक उत्पीड़न के परिवादों के निवारण तथा प्रतिरोषण और उससे संबंधित या उसके अनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए बने "महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतिरोष) अधिनियम 2013" के अध्याय 2 के अनुच्छेद 4 में दिए गए निर्देश अनुसार विद्यालय में आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया जा रहा है। समिति का पीठासीन अधिकारी एवं प्रत्येक सदस्य अपने नाम निर्देशन की तारीख से 3 वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए पद धारण करेंगे। समिति में निम्नांकित सदस्य होंगे:

क्र सं	पद	नाम एवं पदनाम	योग्यता
1	पीठासीन अधिकारी Presiding Officer	श्रीमती रेखा रानी 7253037123	एम.ए. (अंग्रेजी), बी.एड.
2	NGO सदस्य	श्रीमती सोनाली 7417361909	बी.ए.
3	सदस्य Member	१. श्री योगेश बजाज २. श्रीमती गीता देवी ३. श्री अजय कुमार मीना	एम.एस.सी. (भौतिक विज्ञान), बी.एड. एम.ए. (भूगोल)
4	सदस्य Member	श्रीमती अनुपमा सैनी	बी. ए., बी.एड.

समिति के निम्नांकित दायित्व होंगे :

- यौन उत्पीड़न की शिकायतें प्राप्त करना / To receive complaints of sexual harassment
- कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 की धारा 11 के तहत जांच शुरू करना / To initiate an inquiry under section 11 of the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013
- निर्धारित समय अवधि के भीतर जांच को पूर्ण करना / To complete the enquiry within stipulated time period
- जांच पूरी होने के 10 दिनों के भीतर नियोक्ता को अपने निष्कर्षों की रिपोर्ट प्रस्तुत करना / To submit the report of its findings to the employer within 10 days of completion of enquiry
- जांच शुरू करने से पहले सुलह के माध्यम से (पीड़ित महिला के अनुरोध पर) उसके और प्रतिवादी के बीच मामले को निपटाने के लिए कदम उठाना / Before initiating enquiry to take steps to settle the matter (at the request of the aggrieved woman) between her and the respondent through conciliation
- कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न विरोधी नीति का क्रियान्वयन / To implement the Anti-Sexual Harassment Policy at the workplace
- वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना (जिसमें निपटान के लिए केस फाइलों की संख्या आदि जैसी जानकारी शामिल है) / To submit an Annual Report (Including details like number of case files at their disposal, etc.)
- कार्यशालाओं, पोस्टरों, दस्तावेजों, नोटिस, सेमिनारों आदि के माध्यम से कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के संबंध में जागरूकता लाना / To bring about awareness about what comprises as sexual harassment at the workplace by way of workshops, posters, documents, notices, seminars, etc.
- नीतिगत ढांचे को प्रभावी ढंग से प्रचारित करना / To publicize the policy framework effectively
- पीड़ितों को शिकायत का एक सुरक्षित और सुलभ तंत्र प्रदान करना / To provide the victims a safe and accessible mechanism of complaint
- शिकायतों का विवेकपूर्ण तरीके से निराकरण करना / To redress the complaints in a judicious manner
- शिकायतकर्ता को अंतरिम राहत प्रदान करना / To provide interim relief to the complainant
- कार्यवाही के सभी चरणों में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों पर अडिग रहना / To stick to the principles of natural justice at all stages of the proceedings
- समिति के समक्ष हो रही कार्यवाही के संबंध में गोपनीयता बनाए रखना / To maintain confidentiality in regard to the proceedings taking place before the Committee

प्राचार्य
केन्द्रीय विद्यालय
सरसावा

<u>नाम</u>	<u>मोबाइल नंबर</u>
श्रीमती रेखा रानी	7253037123
श्रीमती सोनाली	7417361909
श्री योगेश बजाज	8132940177
श्रीमती गीता देवी	7060462851
श्री अजय कुमार मीना	9414905903
श्रीमती अनुपमा सैनी	8273767648